कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-11/2016-17/

दिनांक : /09/2016

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत- मुनस्यारी

जिला- पिथौरागढ

विषय : क्षेत्र पंचायत मुनस्यारी का वर्ष 2013-14 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग -4 (ब)-1 में **01** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **06** प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 11/2016-17/ दिनांक: /09/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

4 -जिला पंचायतराज अधिकारी, पिथौरागढ़

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2016-17 के लिये क्षेत्र पंचायत मुनस्यारी (पिथौरागढ) पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्री श्याम चन्द्र - खण्ड़ विकास अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम (i) श्री एस0के0त्यागी, व.ले.प.अ.

(ii) श्री पी0एल0 शर्मा, स.ले.प.अ.

(iii) श्री मनोहर सिहं, ले0प0

(स) संप्रेक्षा तिथि 09.05.2014 से 16.05.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2013-14 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम :**. क्षे.पं-. मुनस्यारी,** जनपद**- पिथौरागढ**

(अ) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः- 97

भौगोलिक क्षेत्र :-- 40174.84 हेक्टेयर

जनसंख्या :

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या :555

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 02

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या:- बैठक:

5- कर्मचारियों की संख्या : 17

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : -

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :- 11

9- (अ) सामाजिक संरक्षा

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:-

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय : व्यय विवरण(**संलग्न**)

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है-

भाग-4 (अ)

(क) **परिचयात्मकः**- कार्यालय ख.वि.अ., क्षेत्र पंचायत मुनस्यारी, जनपद- पिथौरागढ के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री एस0के0त्यागी, व.ले.प.अ. के आंशिक पर्यवेक्षण मे श्री पी0एल0 शर्मा, स.ले.प.अ. एवं श्री मनोहर सिहं ले0प0 द्वारा दिनांक 09.05.2016 से 16.05.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

शून्य

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर**	**प्रस्तर**
(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर	**भाग 4 (ब)-1**	**भाग 4 (ब)-2**

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग** **प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर	--	
(ग) सतत अनियमितताओं की सूची	--	शून्य
(घ) अप्रस्तुत अभिलेख		-

भाग 4(ब)-1

प्रस्तर 1:- सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि ` 269.02 लाख की अपूर्ण योजनाये, अप्रयुक्त ब्याज धनराशि ` 12.98 लाख, अलाभकारी वितरण धनराशि ` 24.08 लाख व अनावश्यक अवरोधन धनराशि ` 21.92 लाख।

शत प्रतिशत भारत सरकार द्वारा पोषित योजना "सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम" का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप निवास कर रहे लोगों की विशेष विकासात्मक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करना था।

बी.ए.डी.पी. के लेखा अभिलेखों की जाँच के दौरान संज्ञान में आया कि विकास खण्ड़ में वित्तीय वर्ष 2014-15 में धनराशि ` 269.02 लाख की लागत से स्वीकृत सभी 42 योजनायें/कार्य निविदा निमन्त्रण (जनवरी 2015) के 15 माह उपरान्त भी सम्प्रेक्षा तिथि (मई 2016) तक अपूर्ण थी जबकि विकास खण्ड़ द्वारा आमन्त्रित अल्पकालीन निविदा में योजनाओं/कार्यों को पूर्ण करने की अवधि 04 माह निर्धारित की गयी थी। धनराशि अवमुक्ति सम्बन्धी जिला विकास अधिकारी के पंत्राक 3075 दिंनाक 20.02.2016 में भी योजनाओं का क्रियान्वयन यथाशीघ्र सुनिश्चित करने तथा चालू वित्तीय वर्ष (2014-15) में ही योजनाओं को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था। योजना/कार्यक्रम के खाते में अर्जित ब्याज ` 12.98 लाख (मार्च 2016) के उपभोग हेतु भी कोई सार्थक प्रयास विकास खण्ड़ स्तर से नहीं किया गया था जबकि बी.ए.डी.पी. की दिशा-निर्देशिका (फरवरी 2014) के बिन्दु सं. 10 में स्पष्ट किया गया था कि अर्जित ब्याज को कार्यक्रम के अन्तर्गत धन का अतिरिक्त श्रोत माना जायेगा जिसे जिला स्तरीय कमेटी द्वारा स्वीकृत योजना/योजनाओं पर उपभोग किया जा सकेगा।

लेखों की सघन जांच में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि कार्यक्रम की वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि की 12 योजनायें (स्वीकृत धनराशि `46.00 लाख) संप्रेक्षा तिथि तक प्रारम्भ नही हो सकी थी। स्वीकृत राशि में से ` 24.08 लाख की राशि (07 कार्यों की पूर्ण व आंशिक लागत राशि) कार्यों के सम्पादन हेतु विकास खण्ड द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त/वितरित की जा चुकी थी तथा शेष ` 21.92 लाख ( `14.00 लाख 05 कार्यों की पूर्ण स्वीकृत राशि व ` 07.92 लाख शेष 07कार्यों की अवशेष राशि) की राशि विगत तीन वर्षों से भी अधिक अवधि से खण्ड के खाते में अप्रयुक्त पड़ी हुई थी।

इस प्रकार विकास खण्ड में बी0ए0डी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 से सम्बन्धित ` 269.02 लाख की 42 योजनायें विगत 15 माह से अपूर्ण थी तथा योजना मद पर आर्जित ब्याज `

12.98 लाख की राशि निष्क्रिय पडी हुई थी। साथ ही वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि की 12 योजनाओं से सम्बन्धित ` 24.08 लाख की राशि का अलाभकारी वितरण एंव ` 21.92 लाख का अनावश्यक अवरोधन भी विकास खण्ड द्वारा किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर विकास खण्ड़ द्वारा अवगत कराया गया कि योजनायें भौगोलिक परिस्थितियों के कारण लम्बित थी तथा अर्जित ब्याज की कुछ राशि जिला विकास कार्यालय को वापिस कर दी गयी थी। धनराशि के अलाभकारी वितरण व अनावश्यक अवरोधन के सम्बन्ध में विकास खण्ड़ द्वारा बताया गया कि योजनाये पूर्ण करवाने हेतु सार्थक प्रयास किया जा रहे है।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि योजनाओं को निविदा आमन्त्रण के 04 माह के अन्दर पूर्ण किया जाना था तथा मार्च 2016 तक अर्जित ब्याज राशि के उपभोग हेतु खण्ड़ द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। धनराशि के अलाभकारी वितरण व अनावश्यक अवरोधन का विभागीय तर्क भी सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि तीन वर्षों से अधिक अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त भी विकास खण्ड द्वारा कार्यों को न ही प्रारम्भ कराया जा सका और न ही अवशेष धनराशि शासन को ही समर्पित की गयी।

अतः धनराशि ` 12.98 लाख के अप्रयुक्त ब्याज, धनराशि ` 269.02 लाख के अपूर्ण कार्यों, धनराशि ` 24.08 लाख के अलाभकारी वितरण तथा धनराशि ` 21.92 लाख के अनावश्यक अवरोधन का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 1:- राज्य वित्त से कराये गये ` 24.00 लाख के गैर अनुमन्य कार्य।

शासनादेशों के अनुसार क्षेत्र पंचायत से मिलने वाले अनुदानों के व्यय हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किये जाते है तथा उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार ही कार्य कराये जाने की अपेक्षा प्रत्येक सक्षम अधिकारी से की जाती है।

राज्य वित्त से प्राप्त धनराशि से कराये गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 में दिशा-निर्देशों के विपरीत ` 3.00 लाख के 08 कार्य कुल 24.00 लाख के कार्य विकास खण्ड़ साज-सज्जा एवं मरम्मत/रंगरोगन इत्यादि पर व्यय किये गये है जबकि जिला पंचायत राज अधिकारी से प्राप्त उक्त अनुदानों में स्पष्ट किया गया था सम्बन्धित धनराशि केवल अर्न्तग्रामीण कार्यों पर ही व्यय की जा सकती है। इस प्रकार धनराशि का उपयोग करते समय शासन द्वारा निर्गत आदेशों का पालन नहीं किया गया था तथा अर्न्तग्रामीण कार्यों से इतर कार्य सम्पादित कराये गये थे। इन 08 कार्यों मे से दो कार्य मई 2015 तक अपूर्ण थे तथा उन पर भी ` 4.00 लाख का व्यय किया जा चुका था। इस प्रकार ` 24.00 लाख की धनराशि का विभाग द्वारा गैर अनुमन्य व्यय किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत कराकर कार्य कराए गए है।

उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि शासन द्वारा स्पष्ट निर्देशों के विपरीत कार्य बोर्ड द्वारा स्वीकृत कराना औचत्यहीन है तथा सक्षम अधिकारी का दायित्व है कि निर्माण कार्यों की योजना बनाते समय शासकीय आदेशों का पालन अवश्य करे।

अतः ` 24.00 लाख के गैर अनुमन्य व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 2:- उत्तराखण्ड आधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमों का पालन न करना।

उत्तराखण्ड आधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अध्याय 3 नियम 39 के अनुसार बिना निविदा/कोटेशन आंमत्रित किए कार्यादेश पर निर्माण कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में यह व्यवस्था है कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्येक अवसर पर कम से कम 03 पंजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन प्राप्त कर ` 1.00 लाख तक के कार्य करा सकता है। बिना निविदा/कोटेशन कार्यादेश के माध्यम से कार्य केवल आपात स्थिति में कराया जा सकता है जिसके लिए समुचित कारण अभिलिखित किए जाने चाहिए। संशोधन 243/xxxvII(7)/2012दिनांक 31-08-2012 के अनुसार ` 3.00 लाख तक के कार्य केवल आपात स्थिति में ही कराए जा सकते है। उक्त आदेश का संशोधन दिनांक 15-08-15 करते हुए ` 3.00 लाख तक के कार्यों हेतु तीन पजीकृत ठेकेदारों से कोटेशन/निविदा प्राप्त करना अनिवार्य है तथा ` 5.00 लाख तक के कार्य आपात स्थिति में ही कराए जाने का प्रावधान है।

क्षेत्र पंचायत द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा ` 1.00 लाख से अधिक के कार्य भी कार्यादेश द्वारा कराए गए थे। कार्यो में समय सीमा का भी पालन नही किया गया था जबकि नियमावली के अनुसार समय से कार्य पूर्ण कराने का दायित्व सक्षम अधिकारी का था। ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध पत्रों हेतु ` 100/- के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर कार्य/ ठेके से सम्बन्धित शर्ते अंकित नही थी जबकि कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व ठेकेदारों से अनुबन्ध पत्र भरवाना अनिवार्य था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि भविष्य में नियमावली का अनुपालन किया जाएगा।

उत्तर संतोषजनक नही है क्योंकि शासन द्वारा निर्गत आदेशों एंव नियमों का पालन करना प्रत्येक सक्षम अधिकारी का दायित्व है तथा नियमों का उल्लंधन कर कार्य कराना वित्तीय अनियमितता है। प्रत्येक अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह सरकारी धनराशि का व्यय करते समय नियमों का पालन आवश्य करे।

अतः उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रावधानों/नियमों का पालन न करने से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 3:- शासकीय आदेशों का पालन न करना।

उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1224/xl/14/56(08)/2013 दिनांक 12 मई 2014 द्वारा विधायक निधि के अन्तर्गत पिछली विधान सभाओं की अवचनबद्ध बचत/ब्याज की धनराशि को, जो अब व्यय करना संभव नही है, राजकोष में लेखा शीर्षक "4000 विविध पंजीगत प्राप्तियाँ, 01 सिविल, 800 अन्य प्राप्तियाँ" में बचत राशि तथा लेखाशीर्षक "0049 ब्याज प्राप्तियाँ, 04 अन्य प्राप्तियाँ, 800 अन्य प्राप्तियाँ" में ब्याज की राशि जमा किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए थे।

परन्तु वर्ष 2010-11 एंव 2011-12 से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि 14 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित धनराशि को विभाग द्वारा निर्देशों का उल्लंधन कर शासकीय लेखों में जमा नही कराया गया था। जबकि उक्त सभी कार्य पिछली विधान सभा से सम्बन्धित थे तथा संप्रेक्षा की तिथि 19-05-2015 तक अपूर्ण/ अनारम्भ थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि मामला कोर्ट में होने के कारण कार्य प्रारम्भ में विलम्ब हो गया था। समस्त कार्य प्रारम्भ कराए गए है तथा असमायोजित धनराशि सम्बन्धि विभाग को वापस कर दी जायेगी।

उत्तर सन्तोषजनक नहीं है क्योकि विभाग द्वारा पिछली विधान सभा की अवचनबद्ध धनराशि को अविलम्ब राजकोष में जमा करा देना आवश्यक था परन्तु विभाग ने ऐसा नही किया जो कि शासनादेशों का उल्लंधन है।

अतः शासन द्वारा निर्गत आदेशों का पालन न करने से सम्बन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 4:- विभिन्न मदों के अन्तर्गत दो वर्षों से अधिक धनराशि का असमायोजित रहना।

प्रत्येक सक्षम अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह शासन से प्राप्त धनराशि का अविलम्ब कार्ययोजनाओं पर व्यय करे तथा सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग करते हुये सम्बन्धित विभागों को उपपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करें ताकि धनराशि का समय से उपयोग हो सके। जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा विभिन्न मदों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि 02 वर्षों से अधिक की अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी उपयोग नहीं की गयी है तथा ` 11,76,657/-(अनुलग्नक के अनुसार) की धनराशि असमायोजित पड़ी थी। शिक्षा मद से प्राप्त ` 4,05,301/- की धनराशि तो कई वर्षों से विभाग द्वारा न तो वापस की गई है न ही समायोजन किया गया है। इसी प्रकार बायोगैस, जो कि शतप्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है, के दिशा-निर्देशों के अनुसार धनराशि का सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में ही उपयोग किया जाना आवश्यक था परन्तु दो वर्षों से ` 43,500/- का भुगतान सम्बन्धित लाभार्थी को नहीं किया गया था। इसी प्रकार युवा कल्याण एवं अन्य मदों में भी धनराशि दो वर्षो से असमायोजित थी जो कि शासन द्वारा निर्गत आदेशों का उल्लघंन है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि धनराशि का भुगतान कर समायोजित कर दिया जायेगा तथा शिक्षा मद की धनराशि सम्बन्धित विभाग से पत्राचार कर समायोजित की जायेगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि शासकीय धन को लम्बे समय तक अवरुद्ध रखना तथा उपयोग न करना वित्तीय अनिमितता है तथा शासकीय आदेशों का उल्लंधन है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

अनुलग्नक

मद का नाम	धनराशि (` मे)
1- बायोगैस	43,500/-
2- युवा कल्याण	3,15,691/-
3- शिक्षा मद	4,05,301/-
4- जड़ी बूटी	8,800/-
5- महोत्सव	4,03,365/-
कुल योग -	**11,76,657/-**

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 5:- ब्याज से अर्जित धनराशि राजकोष में जमा न करना।

उत्तराखण्ड़ शासन के पत्र सं. 347/वी.आ.निदे. (तृ.रा.वि.आ.)/2013 दिनांक 17.01.2013 के अनुसार पंचायती राज संस्थानों को विभिन्न योजनाओ जैसे राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, क्षेत्र विकास निधि, सांसद निधि, विधायक निधि आदि से प्राप्त धनराशि जो लम्बे समय तक व्यय न हो पाने के कारण बैंकों में जमा रहती है तथा जिस पर बैकं से ब्याज अर्जित होता है। उस अर्जित ब्याज की धनराशि को अविलम्ब राजकोष में लेखाशीर्षक "0049 ब्याज प्राप्तियाँ" में जमा कराया जाना है अथवा सम्बन्धित विभागों को वापस किया जाना आवश्यक है।

क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न मदों से प्राप्त धनराशि से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग को राज्य वित्त, विधायक निधि, सांसद निधि इत्यादि पर बैंक द्वारा ` 28,58,609/- की धनराशि ब्याज के रुप में विभिन्न खातों में अर्जित की गई है परन्तु विभाग द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (मई 2016) तक उक्त धनराशि शासकीय आदेशों के अनुसार सम्बन्धित लेखा शीर्षक के राजकोष में जमा नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि ब्याज की धनराशि का सम्बन्धित विभाग से निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि ब्याज की अर्जित धनराशि को राजकोष में जमा करने से सम्बन्धित आदेश शासन द्वारा पूर्व में ही निर्गत किये गये है तथा उक्त धनराशि सम्बन्धित विभाग को भी अविलम्ब वापस की जानी चाहिए थी परन्तु लम्बी अवधि तक धनराशि विभाग द्वारा अवरुद्ध रख शासनादेशों के विपरीत कार्य किया गया है।

अतः अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष जमा न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 6:- विभिन्न मदों से कराये गये ` 216.59 लाख के अपूर्ण कार्य ।

क्षेत्र पंचायत द्वारा विभिन्न मदों से प्राप्त धनराशि से कराये गये निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग को उक्त वर्षों में कुल 464 कार्यों हेतु धनराशि स्वीकृत/आवंटित की गई थी। जिसके आधार पर विभाग द्वारा विभिन्न कार्य योजनाये बनाकर कार्य सम्पादन हेतु कार्यादेश एवं निविदाओं के माध्यम से कार्य कराये गये थे। परन्तु लेखापरीक्षा (मई 2016) तक 16 कार्य अपूर्ण थे। जिन पर स्वीकृत लागत ` 216.59 लाख थी तथा विभाग द्वारा ` 102.07 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी थी। उक्त कार्यों में वर्ष 2010-11 के वे 12 कार्य भी सम्मिलित थे जो कि पिछली विधान सभा से सम्बन्धित थे। जिनका व्यय नई विधान सभा के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता था। परन्तु विभाग द्वारा उक्त कार्यों पर 05 वर्षों से अधिक अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी भुगतान किया गया था। सबसे अधिक अपूर्ण कार्य विधायक निधि के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य थे जिनकी संख्या 106 थी।

वर्ष 2014-15 में जिलाधिकारी से प्राप्त पत्र सं. 1449 दिनांक 20.07.2015 द्वारा प्राप्त दैवीय आपदा के अन्तर्गत कराये जाने वाले कुल 06 कार्यों में से 04 कार्य मई 2016 तक अपूर्ण थे जिनकी स्वीकृत लागत ` 28.50 लाख के सापेक्ष ` 2.98 लाख का व्यय किया गया था। उक्त 04 कार्यों में तीन कार्य प्रारम्भ भी नहीं किये गये थे क्योंकि समायोजन से सम्बन्धित कोई अभिलेख पत्रावली में संलग्न नहीं थे। कार्यों को पूरा करने की अविधि 45 से 60 दिन थी तथा एक कार्य जनवरी 2016 में तथा तीन कार्य मार्च 2016 में प्रारम्भ किये जाने थे परन्तु कार्य अनारम्भ/अपूर्ण थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि कार्य प्रगति पर है तथा शीघ्र ही पूर्ण कराये जायेगें। सम्बन्धित ठेकेदारों को कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया जायेगा तथा माप होने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि कार्ययोजना बनाते समय कार्यों को समय से पूरा करने हेतु समय सीमा तय की जाती है तथा कार्यों को पूरा कराने हेतु सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होते है। समय पर कार्यों के सम्पादन न होने के कारण कार्ययोजना का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। अधिप्राप्ति नियमावली 2008 एवं एम.बी. के Clause 02 के अनुसार समय सीमा में किसी प्रकार की लापरवाही शासनादेशों एवं नियमावली का उल्लंधन है।

अतः ` 216.59 लाख के अपूर्ण कार्यों से संबन्धित प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **खंड विकास अधिकारी, क्षे.प.- मुनस्यारी, जनपद- पिथौरागढ** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ स्थानीय निकाय